-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 30.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना मरका पुलिस द्वारा शातिर अभियुक्त को अवैध तमंचा व चोरी के मोबाइल फोन के साथ किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस व चोरी के मोबाइल फोन बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के संग्रहण,बिक्री व निर्माण करने वालों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 30.01.2025 को थाना मरका पुलिस द्वारा गशत एवं चेकिंग के दौरान थाना मरका क्षेत्र के ग्राम साड़ा के पास अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व एक चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए है जिसके सम्बन्ध में पूर्व में थाना मरका में अभियोग पंजीकृत है। बरामद अवैध तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में थाना मरका में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 मोबाइल फोन (चोरी के)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुशील पाल पुत्र रामनाथ पाल निवासी शारदा नगर कस्बा व थाना मरका जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 18/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मरका जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 127/24 धारा 331(4)305 बीएनएस थाना मरका जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री रमेश कुमार मौर्य
2. कां0 हृदेश सैनी